

कार्यालय कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी जिला धमतरी (छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक 780 / व.लि.-1/2020

धमतरी, दिनांक 26 / 1 / 2021

छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग, किसान कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/1172/एफ 8-139/2019 अटल नगर रायपुर दिनांक 24.12.2019 के अनुक्रम में विकासखंड धमतरी के ग्राम छाती के रहवासी इलाका में 15 मृत मुर्गियों में एवियन इनफ्लूएन्जा (एच 5 एन 1) के संबंध में जांच के पश्चात् धनात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिस कारण विकासखंड धमतरी के ग्राम छाती के 01 किलोमीटर की परीधी को इनफेक्टेड जोन एवं 01 से 10 किलोमीटर को सर्विलेंस जोन घोषित किया जाता है। इनफेक्टेड जोन के सभी कुक्कुट प्रक्षियों को मारने हेतु आदेशित किया जाता है साथ ही सर्विलेंस जोन में पोल्ट्री उत्पादों की खरीदी बिक्री एवं आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला धमतरी (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 781 / व.लि.-1/2020
प्रतिलिपि :-

धमतरी, दिनांक 26 / 1 / 2021

1. अपर मुख्य सचिव, छ0ग0शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. सचिव, छ0ग0शासन, नगर प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. संचालक पशु चिकित्सा सेवायें, रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
5. पुलिस अधीक्षक जिला धमतरी को सूचनार्थ अग्रेषित।
6. वन मंडलाधिकारी धमतरी जिला धमतरी को सूचनार्थ अग्रेषित।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. अपर कलेक्टर जिला धमतरी को सूचनार्थ।
9. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धमतरी/कुरुद/नगरी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी को सूचनार्थ प्रेषित।
11. जिला सूचना अधिकारी धमतरी को शासन द्वारा निर्धारित बेवसाईट में अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित।
12. आयुक्त, नगरपालिक निगम धमतरी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. उप संचालक पशु, चिकित्सा सेवाएँ धमतरी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. उपसंचालक, जनसंपर्क धमतरी को सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित।
15. सर्व तहसीलदारों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
16. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत धमतरी/कुरुद/मगरलोड/नगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत, आमदी/भखारा/कुरुद/मगरलोड/नगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. निज सहायक कलेक्टर धमतरी को सूचनार्थ।
19. सर्व संबंधितों को पालनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला धमतरी (छ.ग.)